न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

GCMS No.—2022/13

अपील संख्याः 10/2022

1. फूलचन्द पुत्र स्व. श्री दौलतराम जाति जाट निवासी ग्राम खूसर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. मैसर्स ओमशिव प्रापर्टीज प्रा0 लिमिटेड ऑफिस चौधरी स्टील 12 मील टोंक रोड, श्रीराम की नांगल जरिये डायरेक्टर फूलचन्द पुत्र दौलतराम जाति जाट, निवासी खूसर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 02.02.2022 तहसीलदार तहसील सांगानेर, पटवार हल्का रामनगरिया, जिला जयपुर।

उपस्थितः—

1. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा0 की ओर से।

निर्णय   दिनांकः 31.05.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 02.02.2022 जिससे नामान्तरकरण संख्या 227 वाके ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.03.2022 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के वाद संख्या 80/2019 में दिये गये निर्णय दिनांक 16.02.2021 एवं तहसील आदेश कमांक/भू.अ./न्याय. निर्णय/2022/363 दिनांक 31.01.2022 की पालना में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 227 दिनांक 02.02.2022 को आदेश पारित करते समय माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के आदेश व डिकी दिनांक 16.02.2021 की पालना में पारित करना बताया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के उक्त आदेश के कम में पूर्व में ही नामान्तकरण संख्या 221 दिनांक 09.03.2021 को तस्दीक कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय करते समय न तो माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय का निर्णय का अवलोकन किया तथा न ही

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अपीलार्थी को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण 227 में अपीलार्थी की भूमि की किस्म चाही से गै.मु.रास्ता परिवर्तन कर दिया जबकि किस्म परिवर्तन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2022 को जमाबन्दी की नकल निकलवायी तो उसमें नामान्तकरण संख्या 227 प्रक्रियाधीन का नोट अंकित था जिस पर अपीलार्थी ने तहसील कार्यालय में जाकर अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी की तो अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। जिसके पश्चात अपीलार्थी ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करवायी एवं अविलम्ब अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भूमि की किस्म परिवर्तन करने का कोई आदेश पारित नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 227 वाके ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के आधार पर तस्दीक किया गया है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 227 एवं नामान्तकरण संख्या 221 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि की किस्म में परिवर्तन किया जाना प्रतीत होता है इसलिए प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 227 वाके ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर निर्णित दिनांक 02.02.2022 एवं नामान्तकरण संख्या 221 वाके ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर निर्णित दिनांक 09.03.2021 की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के बंटवारा आदेश दिनांक 16.02.2021 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 221 दिनांक 02.02.2022 को तस्दीक किया गया एवं अपीलांट के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 405/102, 406/102 किस्म चाही तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 02.02.2022 से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 227 में अपीलांट के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 405/102, 406/102 की किस्म गै.मु.रास्ता की गयी है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के बंटवारा आदेश दिनांक 16.02.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 405/102, 406/102 की

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर — सत्यमेव जयते

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

किस्म बिना किसी सक्षम आदेश के चाही से गै.मु.रास्ता अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित कर दिया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के वाद संख्या 80/19 में पारित बंटवारा आदेश दिनांक 16.02.2021 के आधार पर प्रथमतः नामान्तकरण संख्या 221 स्वीकार किया उसी आदेश दिनांक 16.02.2021 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 227 स्वीकार किया है जो विधिक प्रावधानो के अनुसार उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना जाहिर नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, सांगानेर का आदेश दिनांक 02.02.2022 बाबत नामान्तरकरण संख्या 227 वाके ग्राम रामनगरिया, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि वह अपीलांट को विधिवत, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, विधिक प्रावधानो अनुसार एवं न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के वाद संख्या 80/19 में पारित बंटवारा आदेश दिनांक 16.02.2021 के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर
सत्यमेव जयते